

संख्या 0-51/92/रेज/सिल्ला/20  
रेज कार्यालय,  
वन संवर्धन प्रभाग  
वन अनुसंधान संस्थान  
पो० ऑ० न्यू फॉरेस्ट, देहरादून

दिनांक 20-04-17

परिपत्र

जैसा कि विदित हैं कि अग्निकाल प्रारंभ हो गया है। व० अ० सं० आरक्षित वन में किसी भी समय आग लगने की संभावना बनी रहती हैं। संस्थान परिसर में आबंटित सरकारी आवासों में रहने वाले कर्मचारियों, आउटहाउसों में निवास कर रहे कई लोग और कूड़ा-कचरा एवं सूखी पत्तियों/शाखाओं आदि की सफाई के काम में लगे लोग इन पदार्थों को खुली जगह में जलाते हैं, इसके अतिरिक्त लोग जलती बीड़ी, सिगरेट इत्यादि को भी लापरवाही से इधर उधर फेंक देते हैं। जिससे की आग लगने की घटनाएं होती हैं। घरों के आस पास सूखी झाड़ियों, पत्ते इत्यादि इकट्ठा न होने दें जिससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है।

अतः वन अनुसंधान संस्थान परिसर के सभी निवासियों के ध्यान में लाया जाता है कि वे किसी भी तरह का कूड़ा-कचरा एवं सूखी पत्तियों/शाखाएं आदि खुले स्थानों में न जलाएं तथा इस प्रकार की सूखी पत्तियों आदि को अपने घरों/कार्यालयों के पीछे छोटे गड्ढों में दबा दें तथा अजैविक कूड़े को सार्वजनिक कूड़ादानों अथवा कूड़ा गाड़ी में डालें। आरक्षित वन क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार की आगजनी करना एक दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। इस प्रकार जो भी उक्त कृत्य करते हुये देखा गया, तो उसके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 के तहत कार्यवाही की जायेगी।



प्रभाग प्रमुख  
वन संवर्धन प्रभाग  
वन अनुसंधान संस्थान

मानक वितरण